रजिस्ट्री स. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 135] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 1985/आषाढ़ 7, 1907
No. 135] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 1985/ASADHA 7, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 19 आई टी सी (पी एन)/85-88

नई दिल्ली, 28 जून, 1985

विषय – स्वर्ण आभूषण निर्यात संवर्धन और प्रतिपूर्ति स्कीम—आयात-निर्यात नीति 1985-88 (खण्ड-1) के परिशिष्ट 32 का अनुबंध-3

(मिसिल सं. 12/1/85-ईपी सी –वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 8-आईटी सी (पी एन)/85-88, दिनांक 31 मई, 1985 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें यह अधिसूचित किया गया था कि 1 जून, 1985 से उक्त स्कीम के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सोना बेचने की कीमत 1304 रुपये शुद्ध सोने

का प्रति 10 ग्राम (0.999 शुद्धता) उस पर लागू होने वाले किसी भी स्थानीय कर को छोड़कर होगी।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निःश्चय किया गया है कि 1 जुलाई, 1985 से, आगामी आदेश जारी होने तक रिलीज आदेश के धारकों को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जिस कीमत पर सोना बेचा जाएगा वह कीमत शुद्ध सोने के प्रति 10 ग्राम (0.999 शुद्धता) उस पर लागू होने वाले किसी भी स्थानीय कर को छोड़कर (1295/ रुपये एक हजार दो सौ पचानवे रुपये मात्र) होगी।

एन. एन. खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 19-ITC(PN)/85—88

New Delhi, the 28th June, 1985

Subject : Gold Jewellery Export Promotion and Replenishment Scheme-Annexure III to Appendix 22 of the Import and Export Policy, 1985—88 (Vol. I).

File No. 12/1/85-EPC.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No 8-ITC(PN)/85—88 dated the 31st May, 1985 notifying that the price at which the gold will be sold under the said scheme by the State Bank of India with effect from 1st June, 1985 would be Rs. 1304/- per 10 gms. of pure gold (0.999 fineness) exclusive of any local taxes applicable thereto.

2. On a review of the position, it has been decided that the price at which gold will be sold to the Release Order Holders under the said scheme by the State Bank of India with effect from 1st July, 1985 until further orders would be Rs. 1295/- (Rs. One thousand two hundred and ninety five only) per 10 gms. of pure gold (0.999 fineness), (exclusive of any local taxes applicable thereto).

N. N. KHANNA, Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1985